

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 429]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2021—कार्तिक 7, शक 1943

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 35-43-मध्यम-इकतीस,

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2021

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 37 की उप-धारा (2) तथा 40 के साथ पठित उक्त अधिनियम के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निर्मित किए गए, निर्मित किये जाने वाले शासकीय स्रोतों और समस्त नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोतों से सिंचाई, पेयजल एवं घरेलू प्रयोजनों, औद्योगिक, ताप विद्युत परियोजना एवं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल के उपयोग हेतु जल दरें नियत करती है अर्थात्:-

1. कृषि प्रयोजन हेतु जलदर.-

कृषि प्रयोजनों के लिए शासकीय स्रोतों से प्रवाह एवं कृषक द्वारा स्वयं के साधन से उद्धहन के लिए सिंचाई की जलदरें

अनुसूची

अनुक्रमांक	फसल का नाम	जल दर (रूपये प्रति हेक्टर)
1	खरीफ फसल :-	
	▪ धान खरीफ-(125+85x3)	380
	▪ कपास (125+70x3)	335
	▪ हरी घास वाली फसलें, मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मक्का, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर (खरीफ), उड़द (125+50x3)	275
2	रबी फसल :-	
	▪ गेहूँ (125+75x3)	350
	▪ चना(125+75x1)	200
	▪ धान रबी -(125+155x3)	590

3	दलहनी एवं तिलहनी फसलें:- धनिया, मूंगफली (रबी), मूंग(रबी), सरसों, कुसुम(सेटफलाव), सूरजमुखी (सनफ्लावर), सोयाबीन(रबी), तुअर (रबी) (125+75x3).	350
4	सब्जी फसलें :- जौ, बैंगन, गाजर, फूलगोभी, मिर्च, ककड़ी, घुंइया, मेथी, अदरक, लहसुन, ग्वारफली, भिण्डी, शहतूत, मटर, खसखस, कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियां.	630
5	फलदार फसलें - केले, पान, उद्यान फसलें, रबर के पौधे, गन्ना	960
6	बरसीम घास (फोडर क्रॉप)	480

2. पेयजल एवं घरेलू उपयोग हेतु जलदर.-

अनुक्रमांक	विवरण	जल दर
(i)	नैसर्गिक स्रोत/स्वनिर्मित स्रोत से नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए जलापूर्ति.	अधिसूचना क्रमांक 29/31/99/म/31/83 भोपाल दिनांक 14 जनवरी 2000 से प्रभावशील शासकीय स्रोतों से प्रदाय पेयजल हेतु जलदर का 50% प्रतिवर्ष 1 पैसे की वृद्धि सहित.

3. औद्योगिक प्रयोजन.-

औद्योगिक प्रयोजन हेतु जलदर -

(जलदर रू. प्रति घनमीटर)

अनुक्र.	वर्गीकरण	जलदर	अभियुक्ति
अ	शासकीय स्रोत से यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि	8.00 (1 जनवरी से प्रति वर्ष 5% वृद्धि सहित)	
ब	नैसर्गिक स्रोत से बहाव प्रणाली व भूजल यथा नदी, झील, नलकूप या अन्य प्राकृतिक संग्रह या उद्योग द्वारा निर्मित जलाशय से.		
	(i) नैसर्गिक स्रोत पर स्वनिर्मित संरचना अर्थात् बांध, खुलाकुआ, नलकूप आदि से.	3.00 (1 जनवरी से प्रतिवर्ष 5% वृद्धि सहित)	भू जल स्रोत को नैसर्गिक स्रोत माना गया.
	(ii) नैसर्गिक जल स्रोत से सीधे जल लिया जाना	3.00 (1 जनवरी से प्रतिवर्ष 5% वृद्धि सहित)	

4. ताप एवं जल विद्युत परियोजना हेतु जलदर.-

अनुक्र.	वर्गीकरण	जलदर
अ	शासकीय जल भंडारण योजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत परियोजनाओं की जनरेटिंग इकाइयों को जलप्रदाय किए जाने के लिए, जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति.	रू. 0.60 प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके उपरान्त प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 02 पैसे प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) की वृद्धि.

ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत अर्थात जल विद्युत परियोजना से जल के उपयोग के पश्चात जल की पुर्नप्राप्ति	रु. 0.20 प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) दर दिनांक 01.01.2022 से, इसके उपरान्त प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 01 पैसा प्रति विद्युत इकाई (प्रति किलोवाट घण्टा) की वृद्धि.
---	---	---

टीप :-

1. पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल का उपयोग हेतु संबंधित इकाई को प्ररूप "7क" में अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
2. ताप विद्युत परियोजनाओं के मामले में, औद्योगिक प्रयोजन के लिये दर्शाई गई दरें लागू होगी ।
5. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

क्र. एफ 35-43-मध्यम-इकतीस.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37 and 40 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931) read with the provisions of the rules framed under the said Act, the State Government, hereby, fix the water rates for the use of water for irrigation, drinking and domestic purposes, industries, thermal power projects and Hydel projects from various constructed, to be constructed government resources and natural/self-made resources as under:-

1. Water Rate for Agricultural purposes.-

Water rates for irrigation from Government sources for agricultural purposes and levied by the farmer by his own means.

S.No.	Name of Crop	Water rate (Rs. Per Hectare)
1.	Crop Kharif:-	
	▪ Paddy Kharif - (125+85x3)	380
	▪ Cotton (125+70x3)	335
	▪ Green fodder crops, Groundnut (Kharif), Jowar, Maiz, Moong (Kharif), Soyabean (Kharif), Till, Tuar (Kharif), Urd-(125+50x3)	275
2.	Rabi Crop:-	
	▪ Wheat (125+75x3)	350
	▪ Gram (125+75x1)	200
	▪ Paddy Rabi- (125+155x3)	590
3.	Pulses and oilseed Crops:-	350
	Coriander, Groundnut (Rabi), Moong (Rabi), Mustard, Safflower, Sunflower, Soyabean (Rabi), Tuar (Rabi) (125+75x3)	
4.	Vegetable Crop:-	630
	Barley, Bringal, Carrot, Cauliflower, Chilli, Cucumber, Dalocasia, Fenugreek, Ginger, Garlic, Gwarphali, Ladiesfinger, Mulberry, Pea, poppyseed, Pumpkin, Potato, radish, Spinach, Tobacco, Tomato, Turmeric, Watermelon, Green Vegetables	

5.	Fruit Crops:- Bananas, Beetel, Garden crops, Rubber plants, Sugarcane	960
6.	Barseem grass (fodder crop)	480

2. Water rate for drinking and domestic use.-

S.No.	Description	Water rate
(1)	Water supply to Municipal Corporation/Municipality/Nagar Panchayat/Gram Panchayat/Public Health Engineering Department for domestic use and drinking purposes from natural source/self-made source.	50% of the water rate applicable as per the notification No. 29/31/99/M/31/83 Bhopal dated 14, January, 2000 with an increase of 1 paise per annum.

3. Industrial Purpose.-

Water rate for industrial purpose:-

(Water rate Rs. per cubic metre)

S.No.	Classification	Water rate	Remark
A	From Government Sources Such as Reservoir, Canal, Tube well etc.	8.00 (with 5% increase per annum from 1 st January)	
B	Flow system and ground water from natural resources e.g. River, Lake, Tube well or other Natural storage or the Reservoir constructed by industry.		
	(I) from the self-made structure on natural resources e.g. Dam, Open well, Tube well etc.	3.00 (with 5% increase per annum from 1 st January)	Ground water source considered as natural resources
	(II) Direct drawal from natural resources.	3.00 (with 5% increase per annum from 1 st January)	

4. Water rate for Thermal and Hydel Power Project:-

S.No.	Classification	Water rate
A	Recovery of water after use of water from government water storage schemes such as dams, canals, barrages etc. for water supplied to the generating units of hydro power projects.	Rs. 0.60 per power unit (per kilowatt hour) rate from 01.01.2022, thereafter increase by 02 paise per power unit (per kilowatt hour) every year from 1 st January.
B	Water recovery after use of water from natural/self-generated source eg hydroelectric project.	Rs. 0.20 per power unit (per kilowatt hour) rate from 01.01.2022, thereafter increase by 01 paise per power unit (per kilowatt hour) every year from 1 st January.

Note:

1. For use of water for drinking and industrial purposes, the concerned unit shall have to execute the agreement in Form "7A".
2. In case of thermal power projects, the rates indicated for industrial purpose shall be applicable.
5. This notification shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

क्रमांक एफ 35-43-मध्यम-31.-मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 64 के अधीन पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश.

(Revised Executive Instructions)

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 अक्टूबर 2001 को प्रकाशित पुनरीक्षित कार्यकारी अनुदेश क्रमांक पीसी 32-10-96-म-इकतीस-943-मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) की धारा 64 के अधीन निम्नानुसार संशोधन स्थापित किया जाता है :-

कण्डिका क्रमांक 2(स) (1)

प्रथम वर्ष में पट्टे पर दी जानी वाली भूमि की दर रुपये 1,000/- प्रति एकड़ से कम नहीं होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही.एस. टेकाम, उपसचिव.